ज्ञान तत्व 188.

(क) लेख– लागा चुनरी में दाग, छुपाउॅ कैसे? के अंतर्गत संघ परिवार तथा सर्वोदय की हिंसा के संमर्थन की समीक्षा।

(ख)–उडिसा सरकार द्वारा उडिसा के नाम परिवर्तन की समीक्षा

(ग) प्रगतीशिल लेखक संघ कह संकीणता की समीक्षा

(घ) विनोवा जी के स्वराज्य की समीक्षा

(च) शासन मुक्ति या शोषण मुक्ति मे प्राथमिकता

(छ) सरकारी करण या निजीकरण

(ज) रामानुजगंज मे आरक्षण

(झ) स्वराज्य या सुराज्य

(ट) छत्तीसगढ मे कृषि उपज पर टैक्स और प्रतिबंध

(ठ) क्या सरगुजा मे नये उधोग खुलने मे बाधाएॅ

(क)लागा चुनरी में दाग, छुपाउॅ कैसे?

जब कोई व्यक्ति या संगठन अपने गुण को संस्कार या सिद्धान्त के रूप में प्रचारित कर देता है तो उस गुण को निरंतर बनाये रखना उसकी मजबूरी भी हो जाया करती है। ऐसे गुण से पीछे हटना उस व्यक्ति या संगठन के लिये बहुत हानिकर हो जाया करता हैं। कभी कभी तो यह हानि सामान्य से भी कई गुना अधिक हो जाती है।

संघ परिवार ने स्वंय को हिन्दू समाज का एकमात्र प्रतिनिधि होने का दावा किया । यदि किसी और संगठन ने ऐसा दावा किया तो संघ परिवार ने उसे भी अपने साथ जोड़ लिया । हिन्दू समाज का यह विशेष गुण होता है कि वह सामान्य स्थिति में बल प्रयोग का सहारा न लेकर बल प्रयोग का दायित्व राज्य व्यवस्था पर ही छोड देता है । यदि व्यवस्था कुछ न भी करे तो वह ईश्वरेच्छा समझकर उसे स्वीकार कर लेता है किन्तु प्रतिकिया नहीं करता । संघ परिवार ने धीरे धीरे हिन्दू समाज को ऐसी प्रतिकिया हेतु प्रेरित किया और कुछ अंशो में सफल भी हुए। किन्तु संघ परिवार समाज में यह दावा करता रहा कि संघ परिवार सिर्फ प्रतिकिया तक ही सीमित है, किया कभी नही करता अर्थात् वह कभी हिंसा की पहल नही करता । संघ परिवार के इस दावे मे सच्चाई भी रही क्योकि भारत मे होने वाली किसी भी सामूहिक हिंसा की पहल हिन्दू समाज द्वारा किये जाने का कोई रेकार्ड नहीं है । विरोधी पक्ष अर्थात मुसलमानों या इसाइयों के विरूद्ध भी नहीं । हिंसा की पहल हमेशा दूसरे ही पक्ष से होती रही है । गांधी हत्या के कलंक यदि अलग कर दें तो स्वतंत्रता के बाद ऐसे मामलों में संघ परिवार भी कभी पहल करने मे सकिय नही रहा है। यही कारण रहा कि मालेगांव मे संदेह के प्रमाण होते हुए भी लम्बे समय तक संदेह मुसलमानो पर ही बना रहा था । यहॉ तक कि संदेह में कुछ मुसलमान लम्बे समय तक जेलों में भी बन्द रहे। यहॅा तक कि जब तक प्रज्ञा पुरोहित मामला सामने नही आया तब तक मैं भी यही समझता रहा कि ऐसे कलंकित कार्य मे कोई हिन्दू संगठन हो ही नहीं सकता । किन्तु प्रज्ञा ठाकुर और सेना अफसर पुरोहित का नाम सामने आते ही मुझे लगा कि मेरा विश्वास भ्रम था और मैने एक लेख द्वारा अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी। किन्तु संघ परिवार ने बिना ठीक से जॉच किये ही उस कर्तव्य परायण इमानदार अफसर हेमन्त करकरे के विरूद्ध प्रचार शुरू करके प्रज्ञा पुरोहित के बचाव में खड़े हो गये।

कुछ दिन पहले ही गोवा के मझगांव मे ब्लास्ट की योजना से ले जाये जा रहे बम ब्लास्ट की दुर्घटना मे दो लोगो का किसी हिन्दू संगठन का सदस्य होना और साथ ही प्रज्ञा ठाकुर से सम्बन्ध जुड़ना एक दूसरे कलंक का स्पष्ट प्रमाण बन गया है। अब कौन सा मुहॅ लेकर संघ परिवार यह कहेगा कि हिन्दू कभी आक्रमण की पहल नहीं करता । सबसे अधिक लज्जा की बात तो यह है कि ऐसा बम विरोधी पक्ष के विरूद्व प्रयोग न होकर सामान्य नागरिको की भीड़ में ही लगाया जाने वाला था जिसका साफ साफ अर्थ आतंकवाद ही माना जाता है।

कुछ हिन्दू संगठनो के इस कलंकित कार्य से हिन्दू समाज को तो ज्यादा नुकसान नहीं हुआ क्योकि हिन्दू समाज ने न तो कभी ऐसे कार्यो का समर्थन किया न ऐसे संगठनो का समर्थन या सहयोग किया। किन्तु संघ परिवार की विश्वसनीयता पर तो प्रश्न चिन्ह लगेगा ही । विशेषकर तब जब इन्होने प्रज्ञा पुरोहित प्रकरण मे खुलकर और मझगॉव प्रकरण मे दबे छुपे सहानुभूति समर्थन व्यक्त किया । पता नही ये लोग प्रतिकिया व्यक्त करने मे इतनी जल्दबाजी क्यों करते है । यदि कोई घटना सम्पूर्ण हिन्दू समाज की विश्वसनीयता के साथ जुड़ी हो तो सच्चाई सामने आने तक प्रतीक्षा करने मे क्या हर्ज है? अब तो प्याज जूता वाली कहावत चरितार्थ हो रही है कि विश्वसनीयता भी संकट में है और चुप रहना भी मजबूरी हो गई है ।

ऐसा ही एक दूसरा संकट सर्वोदय के समक्ष आ खड़ा हुआ । दुनिया के लोकतांत्रिक इतिहास में सर्वोदय ही एकमात्र ऐसी संस्था है जो लोक स्वराज्य की पक्षधर रही है अन्यथा अन्य सभी संगठन या तो राज्य सशक्तिकरण मे संलग्न है, या राज्य निरपेक्ष संस्था के रूप में सेवाकार्य मे लगे है। संघपरिवार सत्ता संघर्ष में लिप्त है तो गायत्री परिवार आर्य समाज आदि सेवा कार्य तक सीमित है । सर्वोदय ने राजनीति से दूर रह कर राजनीति पर सामाजिक नियंत्रण को प्राथमिकता घोषित किया । इन्होने गांधी विनोबा जे. पी. का स्वयं को उतराधिकारी घोषित किया । गांधी जी के मरते ही सर्वोदय ने सेवा कार्य को पहली और लोकस्वराज्य को औपचारिकता तक सीमित कर दिया किन्तु लोक स्वराज्य को इन्होने छोडा कभी नही । यदा कदा लोक स्वराज की दिशा मे कुछ न कुछ पहचान तो बनी ही रहती थी । गांव तक को निर्णय की स्वतंत्रता की लडाई इनकी पहचान बन गई थी भले ही अन्दर अन्दर ये इस लडाई से बचते ही रहते थे।

सन् चौहत्तर में जयप्रकाश जी ने लोक स्वराज्य संघर्ष को पहली प्राथमिकता घोषित करके प्रत्यक्ष होने के लिये मजबूर कर दिया । उस समय विनोबा जी को छोडकर सारा सर्वोदय जयप्रकाश जी के साथ आ खडा हुआ । लाभ निर्णायक न होकर आंशिक ही रहा । सर्वोदय को घोर निराशा हुई । बंगजी फिर भी अकेले ही जयप्रकाश जी की दिशा मे सोचते रहे और जब भी उन्होने कुछ करना चाहा तो किसी न किसी बहाने उन्हे रोक दिया गया ।

अब ठाकुरदास जी बंग ने खुलकर लोक स्वराज्य अभियान का बीडा उठा लिया । सर्वोदय कार्यकर्ता बडी संख्या मे बंग जी की टीम मे जुड़ने लगे । सत्ता के समर्थको को चिन्ता हुई । दो तीन वर्षो तक तो ये लोग बंगजी को भरमाते रहे और जब बंगजी नही मानकर दो हजार आठ मे ये लोक स्वराज्य अभियान घोषित कर दिये तब इन्हे सामने आकर बंगजी के विरूद्व प्रस्ताव तैयार करना पडा । प्रश्न उठता है कि गांधी जी के सेवाग्रम आश्रम से लोक स्वराज्य की चर्चा पर रोक लगाने का निर्णय रामचन्द्र राही जी के इशारे पर करके सर्वोदय नेतृत्व ने क्या अपनी विश्वसनीयता खतम नही कर दी ? इन्होने कैसे यह समझ लिया कि सर्वोदय कोई आर एस.एस. सरीखा संगठन नही है जिसका कार्यकर्ता आंख मूॅंदकर बिना बिचारे ही

नेतृत्व का निर्णय मान लेता है । सर्वोदय के तो हर कार्यकर्ता के ही ऐसे संस्कार बन जाते है कि वह सोच समझकर ही किसी की बात मानता है अन्यथा अकेले ही चल पड़ता है । यह सब समझते हुए भी सर्वोदय नेतृत्व ने इतनी बड़ी भूल कर दी कि अब सफाई देते नही बन रहा हैं। लगातार बंगजी के साथ सर्वोदय कार्यकर्ता लोकस्वराज्य अभिमान के लिये जुडते जा रहे है । सर्वोदय नेतृत्व को सफाई देना कठिन हो रहा है । कोई यह कहने को तैयार नही है कि ऐसी पहल मे उसकी मुख्य भूमिका रही । राही जी भी कोई बलि का बकरा खोज रहे है। स्वतंत्रता के बाद भले ही सर्वोदय ने सक्रियता न दिखाई हो किन्तु लोक स्वराज्य के विरूद्व तो कभी आवाज नही उठाई थी । किन्तु स्वतंत्रता के साठ वर्ष बाद सर्वोदय के समक्ष ऐसी क्या मुसीबत थी कि उन्हे इस तरह गांधी जी की मूल अवधारणा के ही विरूद्व सामने आना पडा । यह कोई सामान्य विषय तो था नही । सम्पूर्ण गांधी विनोबा जयप्रकाश की पहचान ही इस विचार धारा पर टिकी रही है । फिर उसकी आवाज बुलन्द करने का नेतृत्व कोई सामान्य व्यक्ति न करके बंगजी सरीखा व्यक्ति कर रहा हैं । तब आनन फानन मे बिना किसी औपचारिक प्रस्ताव और चर्चा के ही बेचारे गंगा प्रसाद जी अग्रवाल को आगे करके तत्काल निर्णय कर लेने को इनकी कितनी समझदारी मानी जाय यह सोचने का विषय है। अमरनाथ भाई भी छिपे रूप मे लोक स्वराज्य के साथ हैं और वर्तमान अध्यक्ष भी किन्तु कौन सी ताकत है जो मीटिंग मे बैठते ही दोनो की भाषा बदल जाती है ?

आज सर्वोदय की जल्दबाजी में की गई क्रिया ने साठ वर्ष के ढके छिपे षड्यंत्र को उजागर कर दिया । देश जान गया है कि स्वतंत्रता के बाद गांधी जी के ग्राम स्वराज्य को भ्रमित करने में सिर्फ राजनेताओं की ही भूमिका न होकर सर्वोदय नेतृत्व का भी मौन समर्थन रहा है। समाज को सिर्फ संघ परिवार से ही नही सर्वोदय से भी प्रश्न करने का अधिकार है। नीचे से एक ऐसी ही विश्वसनीय जमात है भारत की न्यायपालिका जिसने स्वयं को पूरी तरह इमाानदार कह कह कर समाज मे एक विश्वसनीय स्थान बना लिया। विधायिका तथा कार्यपालिका के भ्रष्टाचार के उनके अपने ही रेकार्ड तो आये दिन टूटते रहते है किन्तु न्यायपालिका मे होनें वाली निचले स्तर के भ्रष्टाचार की चर्चा व्यक्तिगत चरित्र पतन तक ही मानी जाती रही । कोई एकाध ऊपर का जज भी चर्चा मे आया तो उसे ज्यादा तूल नहीं दिया गया । सबसे महत्वपूर्ण मामला तब आया जब सर्वोच्च न्यायालय के किसी मुख्य न्यायाधीश पर एक ही प्रकरण मे कई सौ करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगा । उस समय न्यायपालिका से जुडे अन्य लोगो ने भी अपने विशेषाधिकारों की दुहाई देकर प्रकरण को दबा दिया । भारतीय जनमानस को सच्चाई समझने का अवसर ही नही मिला ।

किन्तु अब अस्थाना प्रकरण न्यायपालिका के गले की फांस बन गया है। न्यायपालिका के दो दर्जन से अधिक वर्तमान, पदस्थ न्यायधीश जो सेशन कोर्ट से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक के जज है, उन पर आरोप लगा कि अस्थाना के पचीसों करोड़ के भ्रष्टाचार मे ये सब जज भी शामिल थे। जॉच को ठंडा करके एक वर्ष से चर्चा से बाहर किया जा रहा था किन्तु अस्थाना का जीवित रहना इन न्यायाधीशो के लिये लटकती तलवार तो था ही । उसके पास कई प्रमाण भी बताये जाते थे । एकाएक जेल में अस्थाना की संदेहास्पद मौत ने न्यायपालिका पर संदेह के बादल खड़े कर दिये । पांच डाक्टरो की टीम भी पोस्टमार्टम के बाद नही कह पाई कि अस्थाना के मौत संदेहास्पद नही है। स्वाभाविक ही है कि वह अकेला गवाह था जो इतनी बडी बडी न्यायिक हस्तियो को कटघरे मे खडा कर रहा था । अन्य सामान्य अपराधियो के विरूद्व न्यायालय की सक्रियता और अपने लोगो के विरूद्व न्यायालय की डेढ वर्ष की ढिलाई ने वैसे ही न्यायपालिका की छवि धूमिल कर रखी थी । अब अस्थाना के संदेहास्पद मौत की बाद तो मामला पूरी तरह संदेहास्पद हो गया है।

इस लेख के माध्यम से हम किन्हीं व्यक्तियों की चुनरी पर लगे दागो की चर्चा नही कर रहे । हम तो संध परिवार की हिन्दुत्व, सर्वोदय की लोक स्वराज्य और न्यायपालिका की इमानदारी मात्र की ही चर्चा कर रहे है। वह चर्चा भी ऐसे मुद्दो पर केन्दित है,जो मुद्दे इन तीनो संस्थाओं की पहचान बने हुए है। अब भी समय है कि ये ऐसे धब्बे और आगे बढने से रोक ले, अन्यथा ऐसा भी दिन आयेगा कि इनके लिये ये दाग सार्वजनिक करना मजबूरी हो जायेगी ।

कार्यालयीन प्रश्नो के उत्तर

नोट – आपके पास ज्ञान तत्व जाता है। उसमें मै विभिन्न सामाजिक राजनीति के विषयों पर अपने विचार लिखता हुं । ऐसे विषयों पर श्री रामकृष्ण जी पौराणिक उज्जैन, श्री ईश्वर दयाल जी राजगीर, श्री नरेन्द्र जी मेरठ अपने प्रश्न तैयार करते हैं जिनके सार संक्षेप का उत्तर मैं ज्ञान तत्व मे देता हूॅ। ऐसे सामूहिक प्रश्नों मे ही अन्य साथियों द्वारा चर्चा में शामिल प्रश्न भी जुड जाया करते हैं । ऐसे प्रश्न कर्ताओं का मुख्य उदेश्य प्रश्न करना न होकर उस विषय की और अधिक विवेचना होता है। यदि ऐसी टीम में आप भी शामिल होना चाहें तो हो सकते हैं। आप ज्ञान तत्व में प्रकाशित विचारों पर प्रश्न तैयार करके भेजें । प्रश्नो पर अपना विचार न भेजें क्योंकि आपका विचार शामिल होने से वह प्रश्नोत्तर आपके नाम पर पृथक से प्रकाशित करना आवश्यक होता है । आपसे निवेदन है कि यदि आप मेरे विचारों से सहमत होते हुए भी और स्पष्टीकरण के उदेश्य से प्रश्न तैयार करें और अपना नाम न देना चाहें तो ऐसे प्रश्नो का उपयोग कार्यालयीन प्रश्नों के उत्तर शीर्षक मे किया जा सकता है ।

प्रश्न 1 (ख)– उड़ीसा सरकार ने प्रस्ताव पारित किया है कि अब उड़ीसा प्रदेश का नाम संशोधित करके ओड़ीसा कर कर दिया जाय। केन्द्र सरकार ने इस परिवर्तन को स्वीकृति भी दे दी हैं । हिन्दी के अखबारो ने इस नाम परिवर्तन को कान्तिकारी कदम मान कर इसकी प्रशंसा की है तो कई अंग्रेजी अखबारो ने इस कदम की आलोचना की है। आप इसे क्या मानते है?

उत्तर– जब समाज पर समाजविरोधी तत्वों का कोई खतरा न हो तब ऐसे सुधारवादी कार्य करना ही चाहिये। उस समय धर्म, संस्कृति, भाषा आदि पर विचार होना स्वाभाविक प्रकिया होती है। किन्तु जब अपराधी तत्व मजबूत हो रहा हों तब ऐसी पहल करना या तो समाज का ध्यान बटाने की चालाकी कही जा सकती है या ना समझी भरा कदम । अंग्रेजी की अपेक्षा हिन्दी को उच्च प्राथमिकता मिलनी ही चाहिये। किन्तु देश काल परिस्थति अनुसार उसका समय देखना भी आवश्यक होता है। उड़ीसा भी वुरी तरह नक्सलवाद की चपेट मे है। दो तीन माह पूर्व ही नक्सलवादियों ने वहॉ पुलिस के दर्जनो पुलिस जवानों की हत्या करके उनके हथियार लूटकर ले गये । नक्सलवादियों ने जिन राज्य सरकारों को खुली चुनौती दी है उनमें उड़ीसा भी शामिल है। उड़ीसा सरकार ने भी केन्द्र सरकार से त्राहिमाम् की गुहार लगाई है। ऐसे समय में उड़ीसा सरकार का यह भाषा प्रेम जागरण की पहल मेरे समझ में तो समाज का ध्यान बटाने की चालाकी के अतिरिक्त कुछ नहीं । उत्तरांचल का नाम बदल कर उत्तराखण्ड और मद्रास का नाम बदल कर तमिलनाडु कर दिया गया । मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगा कि इस नाम परिवर्तन का कोई लाभ हुआ हो। इस नाम परिवर्तन से उनका स्वाभिमान जगा होगा किन्तु कितना जगा और इस स्वाभिमान

जगाने का लाभ अधिक हुआ या हानि यह निर्णय आसान नहीं । इन प्रान्तों मे कानून व्यवस्था को कोई खुली चुनौती नहीं थी, इसलिये यदि वहॉ कि सरकारों ने स्वाभिमान जागरण के नाम पर बैठे ठाले इधर के वर्तन उधर भी कर दिये तो कोई खास चिन्ता की जरूरत नहीं। किन्तु उड़ीसा सरकार आपात्काल में बैठे ठाले इधर का बर्तन उधर करे तो यह प्रशंसा योग्य कार्य नही मानना चाहियें। प्रश्न हिन्दी और अंग्रेजी का नही है। प्रश्न यह है कि क्या वर्तमान समय प्राथमिकता के आधार पर ऐसा है कि उसे इस दिशा में लगाया जावें।

प्रश्न 2(ग) – प्रगतिशील लेखक संघ ने वामपंथी साहित्यकार उदय प्रकाश की इसलिये आलोचना की है कि उन्होने वामपंथी होते हुए भी घोर दक्षिण पंथी सांसद योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सम्पन्न पुरस्कार वितरण मे योगी के हाथों सम्मान ग्रहण किया । वामपंथी साहित्यकारों के बीच यह टकराव तूल पकडता जा रहा है। इस टकराव में प्रसिद्ध साहित्यकार नामवर सिंह भी कूद चुके है। आपकी क्या राय है?

उत्तर–चूंकि मैं एक सामाजिक विचारक मात्र ही हूँ, साहित्यकार नहीं। इसलिये मुझे इस विवाद की जानकारी नहीं । फिर भी मैं यह कह सकता हूँ कि प्रतिबद्ध साहित्यकार किसी विचार धारा का दलाल या प्रचारक तो हो सकता है, किन्तु सात्यिकार नहीं । साहित्यकार तो पूरी तरह स्वतंत्र होता है। वह सरकार से भी नही डरता। आपने जिन लेखकों या साहित्यकारों के नाम लिये उन्हे साहित्यकार कहना ही भूल है क्योंकि वे किसी विचारधारा के दलाल के रूप मे विख्यात हैं।

यदि प्रगतिशील लेखक संघ ने उदय प्रकाश जी द्वारा संघ के नियमों के विरूद्ध जाकर योगी जी से पुरस्कार ग्रहण करने की आलोचना की है तो इसमें गलत क्या है? उदय प्रकाश जी कोई अपनी योग्यता या क्षमता पर तो इतने आगे नहीं बढे थे। उन्हे तो एक योजना के अंतर्गत इतना आगे बढाया गया था । अब यदि उदय प्रकाश जी प्रसिद्धि पाने के बाद स्वयं को साहित्यकार समझने लगें और स्वतंत्र निर्णय लेने की कोशिश करें तो उनके पंख कतरने मे गलत क्या है? यदि वे वास्तव मे साहित्यकार हैं तो प्रमाणित करें कि उनमे स्वतंत्र साहित्यिक क्षमता है और वे प्रतिबद्ध साहित्यकार नहीं हैं। वैसें भारत मे वामपंथी साहित्यकारों के समक्ष लगातार गंभीर संकट बढता ही जा रहा है। चीन, रूस के बेरूखी के बाद मुस्लिम देशो का भी इन्हे सहारा था और कांग्रेस सरकार का भी किन्तु अब तो उनके समक्ष अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है। नक्सलवादियों ने तो वामपंथ का विभाजन करके संकट को और भी गहरा कर दिया है।ऐसे समय मे प्रतिबद्ध साहित्यकारोंके विषय मे कुछ लिखना उचित प्रतीत नहीं होता।

प्रश्न 3(घ) – आपने लिखा कि विनोबा जी ने सन बयालीस में स्वराज्य शास्त्र लिखा । उन्होने स्वतंत्रता के बाद भी स्वराज्य की जो भी परिभाषा प्रस्तुत की वह गांधी जी की परिभाषाओं से भी अधिक कान्तिकारी थी । इतना होते हुए भी स्वतंत्रता के बाद विनोबा जी ने स्वराज्य की भूख को दबने क्यो दिया? स्पष्ट है कि लोक स्वराज्य की भूख मिटाने और स्वराज्य की जगह सुराज की धारणा के जोर पकड़ने के काल मे लम्बे समय तक विनोबा जी जीवित भी रहे और सर्वोदय का नेतृत्व भी करते रहे । फिर वे क्यो ऐसे राजनैतिक षडयंत्र मे शामिल हुए या चुप हो गये ?

उत्तर– विनोबा जी और गांधी जी में बहुत अंतर था । गांधी जी एक मौलिक विचारक थे और विनोबा जी उच्चकोटि के विद्वान । गांधी जी सामाजिक राजनीति के ज्ञाता थे और विनोबा जी धार्मिक सामाजिक विषयो के। विनोबा जी को राजनीतिक छल प्रपंच का ज्ञान नगण्य था । गांधी जी समझदारी प्रधान थे और विनोबा जी शराफत प्रधान । गांधी जी महापुरूष थे और विनोबा जी सन्त पुरूष । गांधी जी का त्याग

वैचारिक था और विनोबा जी का भावनात्मक । गांधी जी लीक बनाने की क्षमता रखते थे और विनोबा जी बनी बनाईलीक पर चल सकते थे, गांधी जी सूर्य थे और विनोबा जी चन्द्रमा । गांधी जी मे सूर्य के समान उष्णता थी और विनोबा जी में चन्द्रमा के समान शीतलता । यही कारण था कि गांधी जी ने सदा संघर्ष को प्राथमिकता दी और विनोबा जी ने संघर्ष को ठंडा करने में । गांधी जी यदि जीवित होते तो पद लोलुप नेताओ से उनका सीधा टकराव होता। दूसरी ओर गाधी जी के ही पद चिन्हों पर चलने का दावा करने वाले विनोबा जी ने राजनेताओ को खुली छूट देकर स्वयं भूदान मे लग गये । भूदान आंदोलन एक सामाजिक समस्या के समाधान का कार्य तो था किन्तु लोकस्वराज्य संघर्ष का कार्य नही था । किन्तु विनोबा जी ने किया । विनोबा जी ने कांचन मुक्ति और राजनीति से दूरी बनाने की बात कहकर सर्वोदय कार्यकर्ताओ को विष विहीन सर्प बना दिया जो या तो संघर्ष से दूर हो गयें और समाज सेवा मे लग गये या राजनेताओ के पिछलग्गू बन गये।

राजनेताओं ने बहुत चालाकी से विनोबा जी को समझा दिया कि ग्राम स्वावलम्बन ही ग्राम स्वराज्य है। विनोबा जी ने यह बात सर्वोदय कार्यकर्ताओं के गले उतार दी । राज सत्ता ने इस कार्य मे सहायता की। लोकस्वराज्य ही ग्ग्रम स्वराज्य है यह बात राजनेताओं के अधिकारो मे कटौती की बात थी। इसलिये हर राजनेता को लोकस्वराज्य चौखम्बा राज्य, सप्तकान्ति आदि की बाते कांटे के समान चुभती थी । बिना सर्वोदय के मदद के राजनेता कुछ कह नही सकते थे, और सर्वोदय विनोबा जी की बात मानता था । इसलिये राजनेताओ ने विनोबा जी को भरमाकर लोकस्वराज्य की अवधारणा को कब्र तक दफन कर दिया । इसमें विनोबा जी का नेहरू जी के प्रति स्नेह भाव भी बहुत काम आया । विनोबा जी ने जानबूझकर स्वराज्य शास्त्र या लोकस्वराज्य को नहीं दबाया बल्की सच्चाई यह हैं कि राजनेताओं ने षडयंत्र पूर्वक लोकस्वराज्य को चर्चा से दूर करके ग्ग्रम स्वराज्य की नई परिभाषा को अधिक प्रचारित कर दिया । इसका प्रभाव आप आज तक देख सकते है कि गंगा प्रसाद जी सरीखे त्यागी तपस्वी भी ग्ग्रम स्वराज्य की उसी परिभाषा की रट लगाये रहते हैं जबकि पूरी तरह स्पष्ट हो चुका हैं कि राजनेताओं ने ग्ग्रम स्वराज्य के नाम पर धोखा ही दिया है। मैं तो सदा से इस मत का रहा हूँ कि ऐसे सन्त लोग संघर्ष मे सदा बाधक ही होते हैं, सहायक नहीं क्योकि उनमे त्याग प्रधान होता हैं, शराफत कूट कूट कर भरी होती है चरित्र मापदण्ड होता है और संघर्ष मे यें सब सहायक न होकर बाधक ही होता हैं । विनोबा जी का आकलन भी इसी रूप मे करना चाहियें। विनोबा नेहरू के बीच क्या भावनात्मक सम्बन्ध था। इस बिषय पर मैनें कुछ विद्वानों से चर्चा की । इतिहास कार ईश्वर दयाल जी ने बताया कि विनोबा जी समझते तो थे कि नेहरू जी गांधी विचारधारा के विपरीत जा रहे हैं किन्तु फिर भी वे आपसी टकराव से इसलिये बचना चाहते थे कि इससे दोनो की बदनामी होगी क्योकि गांधी जी ने ही नेहरू जी को भी आगे बढाया था और विनोबा जी को भी । गांधी जी के दो अनुयायी आपस मे टकराकर अलग अलग राह पर चल पडे यह समाज मे दोनो के लिये गलत होता है । फिर भी आपात्काल के समय जय प्रकाश जी को रोकने मे विनोबा जी ने जितना जोर लगाया वह ठीक नहीं था।

ईश्वर दयाल जी ने एक घटना और बताई कि आपातकाल के बाद जब मुरार जी प्रधानमंत्री बने तो विवोबा जी को संघर्ष की याद आने लगी । जब तक सत्ता पर नेहरू परिवार का शासन रहा तब तक तो विनोबा जी ने गोहत्या बन्दी के लिये कोई निर्णायक संघर्ष नही छेड़ा किन्तु मुरार जी के अल्प शासन काल मे ही विनोबा जी ने गोहत्या बन्दी के लिये आमरण अनशन शुरू कर दिया था । जनता पार्टी का लोकसभा मे बहुमत था और राज्य सभा मे नही था । काग्रेस ने पहले तो विनोबा जी को आश्वासन दिया किन्तु ठीक समय पर राज्य सभा में कांग्रेस इन्कार कर गई। इतने धोखे के बाद भी विनोबा नेहरू

परिवार के मोह के कारण आवाज न उठाकर चुप रहे । इससे यह स्पष्ट होता है कि विनोबा जी के मन मे नेहरू जी तक ही भावनात्मक लगाव कायम नही रहा बल्कि उनके बाद भी रहा । मै स्वंय भी समझता हूॅ कि विनोबा जी के प्रशंसको को इस संबध मे स्थिति साफ रहनी चाहियें।

प्रश्न 4(च)– आप लोग अब तक लोकस्वराज्य अभियान मे शासन मुक्ति शोषण मुक्ति की बात करते थे । दिल्ली अधिवेशन और सेवाग्राम बैठक के बाद आप शासन मुक्ति की ओर झुक गये । आपने लिखा कि आर्थिक असमानता की अपेक्षा राजनैतिक असमानता अधिक घातक होती है। आपके अनुसार अब लोक स्वराज्य के लिये संघर्ष हमारा लक्ष्य हैऔर आर्थिक विषयो पर असंतोष जागरण उसका मार्ग । क्या आप सबका यह अन्तिम निर्णय है या इसमें कुछ और गुंजाइश है?

उत्तर – हम प्रारंभ से ही लोक स्वराज्य को एकमात्र मार्ग मानकर चल रहे थे किन्तु बीच बीच में हमारें कुछ साथी कुछ अन्य मांगे जोडकर इन मांगो को अधिक महत्व देने लगते थे। हम भी समझौता कर लेते थे। दिल्ली सम्मेलन में हमें दो टूक निर्णय करना पडा और सेवाग्राम में और अधिक मुखर होना पडा। अब हमारी एक सूत्रीय मांग है कि परिवार गांव और जिले के अधिकारों की सूची संविधान मे शामिल हो। हम इस मांग को पूरा कराने के निमित्त राष्ट्रपति की वेतन वृद्धि , अतिरिक्त बचे धन का प्रति व्यक्ति में समान वितरण आदि मुद्धो को भी सहायक मुद्धो के रूप मे उठाते रहेंगे किन्तु हमारे लक्ष्य मे अब कोई दूसरा सूत्र नही जुडेगा।

अभी हमारे रामानुजगंज विकास खण्ड में हम एक ग्रम सभा सशक्तिकरण अभियान की शुरूआत कर रहें है । हमारी राज्य से यह मांग हैकि हमारी अपनी जमीन की कृषि या वनोपज को देश के किसी भी भाग मे किसी भी मुल्य पर किसी भी मात्रा मे कय विकय की छूट होनी चाहिये । हम इस मांग को ग्राम सभा सशक्तिकरण के साथ जोड रहें है। भविष्य मे यह मांग और जोर पकडेगी । यह मांग लोक स्वराज्य सहायक होने मे इसे भी जोड़ा गया हैं। ऐसे मुद्धे और भी जोड़े जा सकते हैं।

प्रश्न–(छ) क्या आप सरकारी करण को हटाकर निजीकरण के पूरी तरह पक्ष मे है?

सरकारीकरण निजीकरण और समाजीकरण ये तीनो अलग अलग अवधारणाएँ हैं। सरकारीकरण तो सर्वाधिक घातक अवधारणा है। सरकारीकरण के अपेक्षा निजीकरण बहुत अच्छा है किन्तु यदि निजीकरण की अपेक्षा समाजीकरण होतो और भी अधिक अच्छा है । समाजीकरण का अर्थ है आर्थिक व्यवस्था पर स्थानीय व्यवस्था का अधिकार । परिवार की संपत्ति पर परिवार का गांव की सम्पत्ति पर ग्रम सभा का जिला की सम्पत्ति पर जिले का और जाते जाते सिर्फ राष्ट्रीय सम्पत्ति पर राष्ट्र का अधिकार हो तो क्या हर्ज है? गांव की सम्पत्ति पर राज्य का क्यो हो ? या तो गांव के लोग आपसी सहमती से उसकी व्यवस्था बनावें या स्वतंत्र छोड दे किन्तु दाल भात मे मूसलचन्द्र के समान सम्पत्ति के मामले मे राज्य का हस्तक्षेप क्यों बढे। अभी निजीकरण को गाली देना एक फैशन इसलिये बना हुआ था कि राज्य व्यवस्था पर वामपंथ का प्रभाव अधिक था । अब वामपंथ के पतन के बाद सरकारी करण का नशा कुछ कम हो रहा है। अच्छा हो कि निजीकरण को भी समाजीकरण की राह पर मोड़ने का प्रयत्न किया जाये। ध्यान रहे कि निजीकरण का विरोध बहुत घातक होगा क्योंकि इससे सरकारी करण के पक्ष मजबूत होगा जो अधिक गलत होगा।

प्रश्न (ज)5–क्या रामानुजगंज ब्लॉक के एक सौ दस गांवो के पंचायत गठन में कोई आरक्षण नहीं होगा ? क्या सरकार इसे मानेगी?

उत्तर— मैनें यह कभी नहीं कहा कि हम सरकारी पंचायतों में आरक्षण का विरोध करेगें । हमारी ऐसी कोई योजना नहीं है। छत्तीसगढ मे ग्राम सभा सर्वोच्च है और ग्रम पंचायत ग्रम सभा के निर्णय अनुसार काम करने वाली एक इकाई मात्र । अब तक हर गांव मे सरकारी पंचायत तो है किन्तु सामाजिक पंचायत नहीं । हम गांव गांव मे सामाजिक पंचायतो का गठन करेंगें जो सरकारी पंचायतो की निगरानी रखकर ग्रम सभा को उचित सलाह देगी । निर्णय न सरकारी पंचायत को लेना है न सामाजिक पंचायत को । निर्णय तो ग्रम सभा को करना हैजिसमे कोई वर्गभेद नहीं। जब ग्रम सभा मे वर्गभेद नही तो ग्रम पंचायत मे ऐसा भेद भाव क्यो ? यह भेदभाव वर्ग समन्वय को कमजोर करके वर्ग विद्वेष को बढाता है जो समाज मे टूटन पैदा करता है। राजनेताओ का तो उद्धेश्य ही समाज मे टूटन को प्रोत्साहित करना है किन्तु हमारा उद्धेश्य तो इससे ठीक उल्टा है। इसलिये हमने यह मार्ग अपनाया है । सरकार हमारे प्रस्ताव माने या न माने इससे फर्क नहीं पडता क्योकि सरकार से भी उपर कुछ मामलो मे ग्रम सभा है जिसके निर्णय सरकार मानने को वाध्य होगी।

प्रश्न6(झ)— आप लोक स्वराज्य की बात कर रहे हैं जबकि आम तौर पर हर भारतवासी यह समझता है कि स्वराज्य तो अंग्रेजों के जाते ही आ गया । अब सुराज आना बाकी है। अड़वाणी जी भी सुराज की बात कहते है। गांधी जी सुराज की जगह रामराज्य की बात कहते थे । आप यह बिल्कुल विपरीत बात क्यों कहते है?

उत्तर— स्वराज्य दो प्रकार के हैं 1—राष्ट्रीय स्वराज्य 2—सामाजिक स्वराज्य । सन सैंतालींस मे अंग्रेज भारत छोडकर गये तो उन्होने एक संविधान बनाकर सत्ता राजनेताओ को सौपी । संविधान भी इन्ही राजनेताओं ने बनाया जिन्हें सत्ता लेनी थी । सत्ता विदेशी राजनेताओं के हाथ से निकलकर भारतीय राजनेताओं के हाथ मे आ गई। समाज को कैसा स्वराज्य मिला ? क्या संविधान बनाने में समाज की कोई भूमिका है? क्या कानून हम बना सकते हैं? सामाजिक स्वराज्य तो जितना अग्रेजों के समय था वह भी हमसे छिन गया क्योकि अग्रेज तो विदेशी होने के करण भारत की समाज व्यवस्था मे छेड़ छाड़ से डरते थे । अब तो चूँकि शासक भारतीय हैं इसलिये इन्हें किसी भी प्रकार के कानून बनाने का कोई डर नहीं है।

आज आम भारतवासी को सुराज की आवश्यकता समझा दी गई है। एक ही जाति के लोग यह बात समझा रहे हैं और वह जाति है राजनेताओं की । इस बिरादरी का साधारण कार्यकर्ता भी सुराज की बात ही करता मिलेगा। अडवानी जी भी तो उसी बिरादरी के हैं।वे कोई अलग बात कैसे बोल सकते है? स्वतंत्रता के समय तो यह बिरादरी कर्म के आधार पर बनी थी अर्थात् जो भी व्यक्ति सुराज की बात कर रहे वही उस जाति मे माना जायगा । अब तो जन्म के आधार पर राजनेताओ की जात तैयार हो रही हैं धीरे धीरे कुछ परिवारो मे यह बिरादरी सिमट रही है । इसलिये सुराज शब्द का स्पष्ट अर्थ है राजनेताओ का राज । संविधान एक ढोंग है। भारत के राजनेता संविधान मे मनमाना संशोधन कर सकते है। इस बिरादरी के लोग हर पांच वर्ष मे पूरी तरह सकिय होकर मतदान करवाते हैं जिससे यह प्रमाणित हो कि भारत की जनता इस व्यवस्था से खुश है। चुनाव के बाद ये लोग घुम घूम कर बताते हैं कि भारत की जनता तो सुराज चाहती हैं क्योंकि स्वराज तो पहले ही आ चुका है। अब जनता को इस राज बिरादरी के झूठ प्रचार से मुक्त करने की जरूरत है। इसलिये मैं आपको समझा रहा हूॅ कि समाज को स्वराज्य मिलना अब भी बाकी हैं। ये अडवानी जी और मनमोहन सिंह जिस संघर्ष मे लगे हुए है उसके मूल मे है सत्ता संघर्ष । दोनो एक ही जाति के लोग हैं। दोनो का उद्धेश्य हैं सत्ता। दोनो ही सुराज की बात करते है क्योकि सुराज की भावना तो उनका जातीय स्वभाव हैं । हम इन राजनेताओ के

प्रभा मंडल से मुक्त होकर समाज को संगठित करे तभी सुराज की जगह स्वराज की बात मजबूती से सामने आ सकेगी।

प्रश्न7–(ट) आपने ज्ञान तत्व एक सौ पच्चासी छयासी में छत्तीसगढ के विषय मे लिखा है कि रमन सिंह जी के शासन मे किसान अपनी जमीन पर पैदा कृषि उपज तथा वन उपज बेचने के लिये स्वतंत्र नही है। राज्य शासन को यह अधिकार है कि वह किसी भी कृषि उपज वन उपज को शाषण द्वारा घोषित मुल्य पर बेचनें हेतु किसान को वाध्य कर सकता है चाहे बाजार मे उसका मूल्य अधिक भी क्यो न हो । हम लोगों ने तो आज तक यह बात नहीं सुनी क्या छत्तीसगढ में ऐसा भी संभव हैं।

उत्तर– यह बात आज तक आपने इसलिये नहीं सुनी क्योंकि आप किसान नहीं है। जो अत्याचार किसानों के साथ छत्तीसगढ में नही हो रहा है वह अकेले छत्तीसगढ में न होकर पूरे भारत में हो रहा है । छत्तीसगढ मे ज्यादा दुख की बात यह है कि यहॉ भारतीय जनता पार्टी किसानों को अपना उत्पादन कहीं भी किसी भी रेट पर किसी भी मात्रा मे बिक्री की छूट का आश्वासन देकर आई थी। आने के बाद उसने किसानो को सस्ती बिजली या धान का खरीद मूल्य बढाने की पहल तो की किन्तु स्वतंत्र विक्रय नीति पर ध्यान नहीं दिया । सरकारी दलाल किसान नेताओं ने भी स्वतंत्रता की मांग न करके सुविधाओं की मांग की । सुविधा देने मे सरकार को कोई दिक्कत नहीं होती क्योकि सुविधा के नाम पर ही तो टैक्स बढाने या प्रतिबंध लगाने की छूट मिलती है। किसानो पर इतने प्रतिबंध हैं कि सुनकर आपको आश्चर्य होगा । किसानों से लूट के लिये यह प्रतिबंध है कि किसान अपना उत्पादन सराकार द्वारा घोषित व्यापारी से बाहर के व्यापारी को नहीं बेच सकता । व्यापारी उक्त कृषि उपज जितने मे उपभोक्ता को बेचेगा उसमें से दो से चार प्रतिशत तक तो बिक्री कर सरकार जमा करा लेगी तथा दो प्रतिशत तक मंडी टैक्स जमा करा लेगी । व्यापारी का मुनाफा अलग से। शेष बचा हुआ पैसा किसान को मिलेगा । व्यापारी और सरकार मिलकर हमेशा फायदे में रहेगें । इस टैक्स में से कुछ व्यापारी बचा लेगा तो कुछ अफसर। किसान को तो काटकर ही मिलेगा । किसान किसी अन्य को खुला बेचने हेतु स्वतंत्र नहीं है। ऐसा ही प्रतिबंध वनोपज पर भी हैं। अपने खेत मे पैदा विभिन्न उत्पादो को वनोपज घोषित करके उसे मनमाने रेट पर खरीदना सभी सरकारों की नीति रही है । छत्तीसगढ सरकार भी उसी कांग्रेसी किसान शोषक नीति पर चल रही है। यहॉ तक कि अपने खेत मे पैदा लकड़ी भी किसान स्वतंत्रता से नही बेच सकता । लाखों की अपनी खेत की लकड़ी कटाई के परमीशन मे ही किसान की आधी जान निकल जाती है । परमीशन के बाद जो आाधी जान बची उसका तीस प्रतिशत सरकारी खजाने में जमा करवाना पडता है । बाकी बीस प्रतिशत किसान घर लाता है । हमारे नेताओं को शर्म नहीं आती कि वन आच्छादित सरगुजा जिले में मलयेशिया की लकडी और उससे बने सामान आ रहें हैं किन्तु सरगुजा का किसान अपनी लकड़ी उस मूल्य पर नही बेच सकता जो मलयेशिया वाले को मिलेगा । मैं पूरी तरह आस्वस्त हॅू कि यदि सरकार किसानों की जमीन पर पैदा वनोपज से अपनी कमाई करना भी बन्द कर दे तो सरगुजा जिले में भारी मात्रा मे पेड लगाना संभव हैं। मुझे तो लिखते हुए भी शर्म आती है कि अपनी जमीन पर पैदा आंवला पर भी सरकार को टैक्स चाहिये।

पिछले दिनो छत्तीसगढ सरकार ने सरगुजा जिले में गन्ना का गुड़ बनाने पर इसलिये रोक लगा दी कि यदि गन्ने का मूल्य बढा तो सरकारी शक्कर मिल को या तो घाटा होगा या चीनी के मूल्य बढाने होंगे । मूल्य बढाने से सरकार को अपना शक्कर खरीद मूल्य बढाना होगा । सबका समाधान यह है कि किसानों ने गन्ना विक्रय पर ही रोक लगा दी जाय । कोई सरकार किसानों पर इतना भी अत्याचार कर सकती है यह देखकर दुख होता है । सरकारी दलाल गन्ने का रेट बढाने की मांग करते है और सरकार कुछ रेट बढा देती

है । कोई भी किसान नेता किसानो का उत्पादन किसी भी मात्रा मे किसी भी मुल्य पर कही भी बेचने की स्वतंत्रता की मांग नही करता । सब सुविधा की मांग करते हैं। सबको बिजली पानी मुफ्त चाहिये । सबको ब्याज मुक्त कर्ज चाहिये । बाद मे कर्ज माफी भी चाहिये किन्तु स्वतंत्रता नहीं चाहिये क्योकि स्वतंत्रता का लाभ तो सबको हो जायगा और सुविधा का अधिकतम हिस्सा तो चालाक लोगों की ही जेब मे जायगा । छत्तीसगढ़ सरकार भी इतना नीचे उतर सकती है यह बात मुझे चुभ रही है।

मैं इतना स्पष्ट कर दूँ कि अभी पूरे भारत मे छत्तीसगढ़ सरकार किसानों के मामले मे सर्वाधिक संवेदनशील है। इसने धान के रेट बहुत बढा दिये । इसने साल बीज के भी रेट बढाये । यदि भारत की अन्य सरकारें किसानो को लूट लूट कर लूट के माल का तीस प्रतिशत किसानों पर खर्च करती है तो छत्तीसगढ सरकार लूट के माल का पच्चास प्रतिशत खर्च कर देती है किन्तु छत्तीसगढ़ सरकार भी किसानो के किसी भी उत्पादन को टैक्स फ्री करने की दिशा मे नही बढ रही।

प्रेस विज्ञप्ति

किसानों के अपने कृषि या वन उत्पादन के कय विकय में बाधा क्यो ?

लोक स्वराज्य अभियान के प्रणेता तथा सुप्रसिद्ध सामाजिक चिन्तक बजरंग मुनि जी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कहा है कि लोक स्वराज्य अभियान शासन द्वारा किसानो की अपनी भूमि पर अपने श्रम से पैदा की गई किसी भी कृषि उपज वन उपज की खरीद बिकी पर किसी भी प्रकार के प्रतिबंध या करारोपण का विरोध करता है। किसानो की अपनी भूमि पर उत्पादित कृषि या वन उपज की खरीद बिकी पर टैक्स लगाकर अरबो रूपया इकट्ठा करके कुछ बिजली खाद या अनाज पर छूट देना हमारे साथ धोखा है। हमारे ही धन का एक छोटा सा टुकडा देकर वाहवाही लूटने की एक घृणित कोशिश है। हम राज्य शासन की इस नीति का पुरजोर विरोध करते है ।

राज्य सरकार ने हमारे गेहूँ,चावल, दाल आदि पर मंडी टैक्स सेल्टैक्स तथा वनोपज पर भी कई प्रकार के प्रतिबंध और टैक्स लगाते लगाते अब तो हमारे खेत के गन्ने की खरीद बिकी पर भी रोक लगा दी हैं। अब हम किसान अपने गन्ने का गुड़ नही बना सकते । अब हमारे उत्पादन के लिये हमें राज्य रूपी मालिक की दया पर निर्भर रहना होगा । गन्ना कटाई पर रोक लगाकर शासन ने हम किसानो के स्वाभिमान को चुनौती दी है। ऐसा लगता है जैसे हम लगातार राज्य की गुलामी की ओर ढकेले जा रहे है। सरकार को अपने चीनी मिल मे अधिक से अधिक लाभ हो, चाहे उसके लिये किसानो का शोषण ही क्यो ना करना पड़े या उन्हे कानून से गुलाम ही क्यो न बनाना पड़े ऐसे सरकारी कारण हमे नही चाहिये । छठ के अवसर पर जिस तरह पूजा के गन्ने के लिये लोग तरस गये, वह हमारी सहन शक्ति को पार कर गया है। प्रश्न सिर्फ छठ के गन्ने तक ही सीमित नही है। प्रश्न यह है कि किसान द्वारा अपनी जमीन पर स्वयं द्वारा पैदा किये गये उत्पादन की कही भी किसी भी मात्रा मे किसी भी भाव पर बेचने खरीदने की छूट क्यो नही ? इस पर टैक्स क्यो ? साठ वर्षो से कांग्रेस पार्टी की यह नीति रही है तो क्या छत्तीसगढ की भाजपा सरकार भी उसी सरकारी करण के लिये किसानो को गुलाम बनाने की राह पर चलेगी ? हमे अपने जन प्रतिनिधियो से इसका उत्तर चाहिये कि हमारे अपने खेत के गन्ने की खरीद बिकी की या गुड बनाने की स्वतंत्रता पर रोक क्यो ?

लोक स्वराज्य अभियान राज्य शासन को सचेत कर रहा है कि वह अब समाज को गुलाम बनाकर रखने वाली पुरानी नीतियों से वापस चलना शुरू करे जिससे कि समाज को स्वयं अपने अधिकारो के प्रति संघर्षशील होने की स्थिति पैदा न हो।

प्रश्न8(ठ)– आपने लिखा है कि सरगुजा एक उद्योग विहीन क्षेत्र हैं । यहॉ नयें नये उद्योग खुलने चाहिये । सरकार उद्योग लगाने के लिये सब्सीडी भी देती है । दूसरी ओर आपके लिखे अनुसार इस जिले का कोई व्यक्ति शहर छोड़कर गांव मे बसना चाहे तो वह गांव मे गैर आदिवासी से भी खरीद कर दस वर्ष तक न घर बना सकता है न ही कोई दुकान खोल सकता है । उद्योग तो वह लगा ही नहीं सकता । ये दोनो बातें एक साथ कैसे संभव है ? कही न कही आपकी समझ मे फर्क है ?

उत्तर – ये दोनो ही बातें इस जिले मे तो सच हैं। विकास के प्रयत्न और शोषण के खतरे एक साथ जुडे हुए हैं । पुराने समय मे भी राजा लोग विकास की इच्छा से बाहर के विकसित लोगो को प्रोत्साहित करते थे कि वे आकर यहॉ बसे और यहॉ का विकास करें । दूसरी ओर वे बाहर के लोगो के आने से डरे हुए भी रहते थे कि यहॉ की संस्कृति प्रदूषित हो सकती है । पुराने राजा लोगो ने सरगुजा जैसे पिछडे क्षेत्रो मे रेल या सडक विकास को हमेशा रोकना चाहा था क्योकि ऐसा होने से इस क्षेत्र मे अपराध बढ़ेगा और शोषण भी होगा आज भी अनेक लोग ऐसे मत के पाये जाते हैं। हमारे एक बहुत अच्छे मित्र हैं ब्रहम देव जी शर्मा । आज भारत मे लोक स्वराज्य के विषय में सबसे अधिक साफ सोच उनकी ही मानी जाती है । मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री दिग्विजय सिंह जी के भी ये मुख्य सलाहकार रहे। मैं लोक स्वराज्य की अवधारणा के लिये उनका पूरा पूरा प्रशंसक हूॅ । दूसरी ओर उन्होनें बस्तर कलेक्टर के रूप मे ऐसा काम कर दिया जिसने वहॉ के विकास की संभावनाओं को मीलो पीछे कर दिया । उनके मन में यह पक्की धारणा बनी हुई है कि यदि आदिवासियों के क्षेत्र मे बाहर का आदमी जायगा तो आदिवासियो का शोषण निश्चित है उनके अनुसार विकास के इस कम मे आदिवासियो की मूल संस्कृति को हानि होगी भारत मे बडी संख्या में ऐसे सिरफिरे मिल जायेगें जो विपरित परिणाम एक साथ चाहते हैं। यदि आप विकास चाहते हैं तो आपको मूल संस्कृति की इच्छा छोडनी ही होगी । यदि आप अपनी मूल संस्कृति मे संशोधन नही कर सकते तो विकास की बात मत करिये । ब्रहम देव जी शर्मा ने बिना सोचे समझे ही बस्तर जिले के एक बडे भूभाग मे बाहरी लोगो के प्रवेश पर रोक लगा दी । वहॉ का विकास रूक गया और आदिवासियो का शोषण भी रूका। वहॉ के मूल आदिवासी संस्कृति में कोई परिवर्तन नही हुआ । आज वही अबुझमाड नक्सलवादियो का गढ़ है। आज भी ब्रहमदेव शर्मा गावों को निर्णय के अधिकतम अधिकारो के लिये भी लागातार संघर्ष रत हैं तो दूसरी ओर गांवो के औधोगीकरण के भी विरूद्ध हैं । वे बिल्कुल साफ नही है। क्योकि ग्र्रम सभा समाज की पहली इकाई है । समाज एक परिवार है और गांव को परिवार के रूप मे ही होना चाहिये परिवार मे वर्ग भेद खडा करना लाभ कम और हानि अधिक वर्ग विद्वेष भी बढायेगा जो परिवार के टूटने का आधार बनेगा। शर्मा जी दोनो काम एक साथ करना चाहते है । अपराधी का मांस एक किलो इस तरह निकले कि उससे खून की बूंद न निकले ऐसा प्रयोग करते करते ब्रहम देव जी ने नक्सलवाद को मजबूत होने के अवसर पैदा कर दिये।

हमारे सरगुजा जिले में सरकार एक योजना पर करोड़ों रूपया खर्च कर रही है कि वहॉ के पहाड़ी कोरवा जाति खतम न हो । पूरे भारत में परिवार नियोजन को बढा रहें हैं किन्तु सरगुजा मे पहाडी कोरवा जाति के परिवार को अधिक बच्चे पैदा करने का पाठ पढाया जा रहा है जैसे कि वे कोई ऐसे जीव जन्तु हो जिनकी नस्ल को अजायब घर मे सुरक्षित रखना हो । स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो प्रतिस्पर्धा मे कोई भेद भाव न हो । एक सीमा से कमजोर को सहायता देकर उस सीमा तक स्थिर रखा जाय । किन्तु हमारे लोग

तो इन आदिवासी हरिजनों के पिछड़े वर्ग को नमुने के तौर पर सुरक्षित करना चाहते हैं। मै ऐसी नीति से न पूर्व मे सहमत रहा न अब । ग्राम सभाओं को निर्णय के पूरे अधिकार दिये जायें । यदि ग्राम सभाएॅ बाहर के लोगों का प्रवेश रोकना चाहे तो रोके और छूट देना चाहे तो दें। उनकी स्वतंत्रता मे हस्तक्षेप का अधिकार न सरकार को होना चाहिये न शर्मा जी को । ग्राम सभा मे बाहर के लोगो का हस्तक्षेंप तो घातक है किन्तु शर्मा जी को बाहर से जाकर गांवो मे उद्योगो के विरूद्ध आंदोलन की स्वतंत्रता हो क्योकि भोले भाले आदिवासियो को दूसरे लोग तो छल लेगे । इसलिये उन्हे रोकना चाहिये ।

मै चाहता हूॅ कि आदिवासी गैर आदिवासी का भेद खतम करके ग्राम सभाओं को पूरी तरह सशक्त किया जावें । ग्राम सभाओं को अधिकार दिया जावें कि विकास के मार्ग पर चलना चाहती हैं या अपनी मूल संस्कृति को सुरक्षित रखने की पक्षधर हैं। बाहर के लोगो को सलाह देने की छूट हो किन्तु आंदोलन करने की नहीं । मुझे लगता है कि इससे समाज मजबूत होगा ।